

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश,

क्षेत्रीय कार्यालय बरेली

सेवा में,
प्रबन्धक,

मिशन इंग्लिश स्कूल

बदायूँ

पत्र संख्या मा० शि० प०/मान्यता/ब०/6694-99 बरेली, दिनांक 28/3/2000

विषय :- आपका हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

1921

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क (क)/9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय के बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की 2001 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों वित्त विहीन में मान्यता दिये जाने का आदेश-प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बाह्यिक विद्यालय निरीक्षक को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बाह्यिक विद्यालय निरीक्षक से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभाजित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

आकाश

